

(2)

४३४ / ३६ दिनों का
सहाय्यक अधिकारी

- आदेश -

जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल-केदारकोट मोटर मार्ग के कि०मी० १३ से ग्राम कुश व कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली १.७५३ है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित ३.५०६ है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक रूपीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-०८बी/यू०सी०पी०/०६/१९५/२०१५/एफ०सी०/३०९ दिनांक १२.०५.२०१६ की शर्त सं०-१ के अनुसार उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल-केदारकोट मोटर मार्ग के कि०मी० १३ से ग्राम कुश व कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली १.७५३ है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् ग्राम डांगतोली प०व० हरमनी, तहसील नारायण बगड़ की सीमान्तर्गत ख०खा०सं०-१० के खसरा सं०-९४ रक्बा ४.७७५ है० भूमि मध्ये ३.५०६ है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की रूपीकृति शासनादेश सं०-२१७३/XVIII(II) / २०१२-१८ (१२०) / २०१० दिनांक १७, दिसम्बर २०१२ के अनुसार प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि सहाय्यक अधिकारी गोपेश्वर/दिल्ली
को चमोली एवं जलगांव कार्यालय को द्वारा दिल्ली (आशीष जोशी),

R- ८३४/३८८
१-८-०१९

जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: ८३४/८८८-२६ (२०१६-२०१७) गोपेश्वर: दिनांक: २६ जुलाई, २०१७

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
२. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
३. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४ उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
४. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौरी।
६. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, थराली।
७. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
८. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
९. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नै० थराली।

जिलाधिकारी,
चमोली।